


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/14  
दिनांक: 06.01.15 द्वारा एसीपी स्वीकृत की गई थी। उक्त आदेश में निम्नांकित  
व्याख्याता के नाम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


क्र. सं.	आदेश में क्रसं	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान	मूल आदेश में अंकित पे-बेण्ड	संशोधित पे-बेण्ड
01	01	श्री रामावतार सिंह	9300-34800	15600-39100

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/एसीपी/14  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित व्याख्याता
5. रक्षित पत्रावली

दिनांक:- 28/1/16

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय वर्तमान पदस्थापन	व्याख्याता विषय	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
01	श्री नरपत सिंह सोनीगरा, राउमाविह बेडा--पाली	इतिहास	नवम्बर-15 से दिसम्बर 15 तक	राउमावि बेडा - पाली व्या० इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 28/4/16

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-2 / वेतन व्यवस्था / 2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी / रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर